उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या–09/2020

तबरेज अहमद बनाम् झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

11/10/2021

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में दायर राज्यसात वाद संख्या–114/2019 ट्रक संख्या–JH-02N-4163 के स्वामी में दिनांक–31.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी तबरेज अहमद, पिता–जयाउद्दीन, सा0–खान मोहल्ला (मस्जिद के नजदीक) हेसला, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा–52(A) के तहत् दायर अपील आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 114/2019 ट्रक संख्या–JH-02N-4163 के स्वामी में निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–31.07.2020 को पारित आदेश विधिपूर्ण एवं पोषणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी की ओर से उपस्थापित दस्तावेज एवं कागजातों को बिना अनुशीलन किए हुए आदेश पारित किया गया है। इनका यह भी कहना है कि रजरप्पा थाना काण्ड संख्या–72/2019, दिनांक–22.05.2019, भारतीय दण्ड विधान, 30(ii) कोल माईन्स एक्ट एवं भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत् प्राथमिकी दर्ज के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात की कार्रवाई की गई है, जो आपस में विरोधाभाष है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी दैनिक डायरी तथा वन पदाधिकारी का बयान/प्रतिवेदन में जप्त स्थल से सम्बन्धित भूमि यथा खाता/प्लॉट आदि का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि जप्त वाहन में लदा कोयला वन भूमि क्षेत्र अन्तर्गत उत्खनित कोयला है। यह भी बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि NH-23 बोरोबिंग के समीप वाहन को पुलिस के द्वारा जप्त किया गया है, जो वन भूमि क्षेत्र अन्तर्गत नहीं आते है। इन्होंने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या–114/2019 ट्रक संख्या–JH-02N-4163 के स्वामी में विधिवत वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा नोटिस करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत् दोषी मानते हुए जप्त वाहन एवं उसमें लदा कोयला पर भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत् राज्यसात किया गया है, जो विधि–सम्मत है। इन्होंने दायर अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, निम्न तथ्य स्पष्ट है :–

1. प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–114/2019 ट्रक संख्या–JH-02N-4163 के स्वामी में दिनांक–31.07.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भारतीय वन अधिनियम की धारा–52(A) के तहत् दिनांक–09.10.2020 को अपील दायर किया गया है।
2. निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा रखे गये पक्ष तथा रजरप्पा थाना काण्ड संख्या–72/2019, दिनांक–22.05.2019, से सम्बन्धित दैनिक केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रक संख्या–JH-02N-4163 में लदा कोयला वन भूमि क्षेत्र अन्तर्गत उत्खनित है, जो भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 का उल्लंघन है।
3. निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विधिवत वाहन स्वामी को अपना दावा–दस्तावेज रखने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
4. जप्त ट्रक संख्या–JH-02N-4163 एवं उसपर लदा कोयला, जो वन भूमि से अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था, के सम्बन्ध में दोषी मानते हुए निम्न न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–53(3) के तहत् राज्यसात करने से सम्बन्धित आदेश दिनांक–31.07.2020 को पारित किया गया है, जो विधि–सम्मत है।

आदेश :–

उक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्य/पक्ष एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अतः प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या–114/2019 ट्रक संख्या–JH-02N-4163 के स्वामी में दिनांक–31.07.2020 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2021.10.11 13:12:25 +05:30
Location: 192.168.0.251

[illegible]
[illegible] संशोधित
माधवी मिश्रा
11.10.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
11.10.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।